

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद

संख्या.....19.....



वर्ष 2023.....

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्ता श्रीशिव प्रकाश,
आठ+पंच- मैडर,
बनाम 50- जावाबीट, जिला-बोकारो

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा, बोकारो

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	<p style="text-align: center;">वाद सं०-19/2023</p> <p>परिवादी श्री शिव प्रकाश, ग्राम+पं०-भेंडरा, प्रखण्ड-नावाडीह जिला-बोकारो का अपील आवेदन आयोग द्वारा जारी किये गये व्हाटसएप्प नं० के माध्यम से प्राप्त हुआ।</p> <p>अपीलकर्ता द्वारा बोकारो जिला अन्तर्गत नावाडीह प्रखण्ड के भेंडरा पंचायत के निम्न चार राशन डीलरों के विरुद्ध माह दिसम्बर 2021 का PMGKAY का राशन वितरण नहीं करने संबंधी शिकायत दर्ज की गई:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. दुलारी देवी, अनु० सं०-1/18 2. सरोज कुमार चौरसिया, अनु० सं०-102/84 3. मीरा स्वयं सहायता समूह, अनु० सं०-03/2012 4. जीवन ज्योति स्वयं सहायता समूह, अनु० सं०-37/2009 <p>अपीलकर्ता द्वारा उक्त मामले में दिनांक-02.02.2023 को आयोग के व्हाटसएप्प पर शिकायत की गई थी जिसे संबंधित जिले के DGRO को कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया था। निर्धारित अवधि में उक्त शिकायत पर संबंधित जिले के DGRO द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण अपील दर्ज की गई है। इस बीच DGRO, बोकारो के पत्रांक-691 दिनांक-21.03.2023 द्वारा प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें भेंडरा पंचायत के मुखिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में लाभुकों द्वारा शिकायतपत्र में लगाये गये आरोप को बेबुनियाद बताये जाने का उल्लेख है। साथ ही DGRO इस मामले को संचिकास्त करने का प्रस्ताव दिया गया। DGRO, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन शिकायतकर्ता को भेजने पर उनके द्वारा DGRO द्वारा की गई कार्रवाई से असंतोष जताते हुए अपील दर्ज की गई।</p> <p>अतः मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक-16.05.2023 को निर्धारित की जाती है।</p> <p>प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त शिकायत आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।</p> <p style="text-align: center;">दिनांक-16.05.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> <div style="text-align: center;">  (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> </div>	